

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या - 30/2017

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़ कैंट

बनाम्

मेसर्स ओशो धारा टैक्सटाईल, श्रीमती आशा मिश्रा

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

12-09-2018

- आदेश -

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत प्रदाधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, रामगढ़ कैंट द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत विपक्षी के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गये सम्पत्ति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में वाद दायर किया गया है। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी, माण्डू से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, साथ ही इस वाद में बनाये गये विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, माण्डू का पत्रांक-404, दिनांक-05.04.2018 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि ग्राम-साण्डी उर्फ तिलैया के खाता नं-76, प्लॉट नं-656, रकबा-0.10 ए० भूमि की जमाबंदी पंजी-II के पृ०सं०-163/V पर श्रीमती आशा मिश्र, पति-शशिकांत मिश्र के नाम से दाखिल खारिज केस सं-908/2001-02 दिनांक-11.02.2002 के आदेशानुसार कायम की गई है। लगान वसूली वर्ष 2007-08 तक निर्गत है उपरोक्त वर्णित खाता भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास दर्ज है।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पिछले कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की रुची उक्त दायर वाद में नहीं है। अतः अपीलार्थी की उदासिनता को देखते हुए एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी कायम करने हेतु अंचल अधिकारी सक्षम प्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रैस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, माण्डू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गैर मजरूआ खास खाते से संबंधित कायम जमाबंदी की विधिवत जांच कर नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसी मंतव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
12/11/16

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

22/09

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

623/वि
22/09